



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: F-JDA/LPC/2026/D-8

विज्ञप्ति

RAJASHTAN INTERNATIONAL SCHOOL को INSTUIONAL को स्थापित करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में 2100.00 SQ. METER. सुविधा हेतु भूखण्ड आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/ट्रस्ट को कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो 15 दिवस में jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

Signed by: Bhag Chand Badhal
Designation: Additional Commissioner,
(LPC)
Location: JDA Jaipur
Date: 2026-01-22 12:58:37 +05'30'



Jaipur Development Authority

Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011

Application No.
230169

Acknowledgement Receipt

Name of the designated officer पदाभिहित अधिकारी का नाम
Deputy Commissioner (LPC)

Office कार्यालय

Receipt Date प्राप्ति दिनांक : 08 Jul 2025
Due Date नियत दिनांक : 20 Aug 2025

Applicant Details :

Name and address of the applicant M/s RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL HEMRAJ GURJAR
आवेदक का नाम और पता : 119. chancijo ki dhani, badhatrla harmada~ Harnada, Jaipur
Mobile Number : 9929489052 E-Mail : 9929489052
Name of the service सेवा का नाम : Institutional Land Allotment

Property Details :

Developer Type / Developer Name विकासकर्ता : /
Scheme Name / Location योजना :
Plot No Service No भूखंड संख्या सर्विस नंबर :

Document(s) enclosed :

1. Application Form For Institutional Land Allotment
2. Photo ID issued by Government (Aadhar Card/ Driving License / Passport / Voter ID)
3. भूखंड क्रय करने एवं प्रस्तावित निर्माण बाबत पारित प्रस्ताव का क्रमांक एवं दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न करें।)
4. भूखंड पर प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धी प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें।(पृष्ठ संख्या अंकित करें।)
5. सचिव, जविप्रा के नाम 5000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर संलग्न करें।
6. संस्था/ ट्रस्ट की गत तीन वर्षों की अंकेक्षण शीट के अनुसार वित्तीय स्थिति (गत तीन वर्ष के अंकेक्षण बैलेन्स शीट की प्रति संलग्न करें)
7. संस्था/ट्रस्ट के निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या (नाम और पते सहित सूची संलग्न करें)
8. संस्था/ट्रस्ट के विनियम/विधान की प्रति संलग्न करें (पृष्ठ संख्या अंकित करें)
9. संस्था/ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नं. (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

Original documents received through applicant :

- 1 Application Form For Institutional Land Allotment
- 2 Photo ID issued by Government (Aadhar Card/ Driving License / Passport / Voter ID)
- 3 संस्था/ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नं. (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
- 4 सचिव, जविप्रा के नाम 5000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर संलग्न करें।

Counselor : RAJKUMAR GUJAR

Note : Please logon to your account at regular interval to see the notification posted by JDA in your Dashboard

- अधिसूचना क्रमांक प 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5)सह./91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन की सुरक्षा हेतु आदेश की तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गौ-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलधारा समितियां, भू-जल संरक्षण विभाग के अंतर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारों को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये जाने के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है। घटी हुई राशि की सुविधा केवल उन्हीं नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

विक्रेता :

राज पंचायत प्रकाशन

धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3

फोन : 2312402

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र
तथा
विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
3. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनवश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-
पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुसंधान और रंगमंचों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावे, के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्मा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

1. राजस्थान राज-पत्र क्रि.सं.क्र. 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

2

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 10 पंजीयन निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में संस्था के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्त शाखा में प्रस्तुत की जावे।
16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देव होने।
17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य की एड. एवं दो सदस्य ट्रेडरट होने आवश्यक है।
19. अन्य संस्थाएँ जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

सेवा में,
श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थाएँ,

जयपुर
विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।
महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है

राजस्थान स्वयंसेवा संघ शिक्षा समिति
के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें।

संलग्न : संघ विधान-पत्र
तथा विधान (नियमावली)

भवदीय
[हस्ताक्षर]
(अध्यक्ष पत्र)

3

राजस्थान इंटरनेशनल शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम राजस्थान इंटरनेशनल शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 19 नमक गिर की रोड तथा कार्यक्षेत्र:- लीक रोड, जयपुर है।
तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. शिक्षा एवं ज्ञान का प्रसार-प्रसार करना।
2. शिक्षा द्वारा बालक-बालिकाओं का चहुँमुखी विकास।
3. शिक्षा के प्रसार-प्रसार हेतु विशालता, महा विशालता की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
4. बालिका शिक्षा पर जोर देना।
- 5.
- 6.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

मोती लाल
अध्यक्ष

Himanshu
मन्त्री

अबुलक़ासिम
कोषाध्यक्ष

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5

मोती लाल
अध्यक्ष

Himanshu
मन्त्री

अबुलक़ासिम
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	शंकराज उजरी श्री. श्री. शंकराज उजरी	अध्यापक	श्री. श्री. शंकराज उजरी श. सं. 15 जयपुर	Handwritten signature
2.	श्री. भागीलाल उजरी श्री. श्री. शंकराज उजरी	निजी कार्य	60 गेजट्ट वडारणा ल. कांभर, ज. जयपुर	भागीलाल
3.	श्री. पद्मलाल उजरी श्री. श्री. भागीलाल उजरी	अध्यापक	2642, गेजट्ट वडारणा, वडारणा ल. कांभर, ज. जयपुर	पद्मलाल
4.	श्री. कालराज शर्मा श्री. श्री. हेमचंद्र शर्मा	निजी व्यवसाय	सं. 5 मन्डू नगर कांभर पिन 305005 जयपुर	Handwritten signature
5.	श्री. प्रकाश लाल कुपडा श्री. श्री. गोपाल लाल कुपडा	निजी व्यवसाय	विनायक विहार रोड 1405 जयपुर	Handwritten signature
6.	श्री. धाराम उजरी श्री. श्री. धाराम उजरी	अध्यापक	गोव-बलारणा पोस्ट जयपुर	धाराम
7.	श्री. प्रदीप उजरी श्री. श्री. प्रदीप उजरी	अध्यापक	गोव-बलारणा पोस्ट जयपुर	प्रदीप
8.	श्री. लाला राम शर्मा श्री. श्री. चमराज शर्मा	हस्तिक	विनायक विहार रोड जयपुर	लाला राम
9.	श्री. अशोक महेला श्री. श्री. श्रीराम महेला	अध्यापक	163- उतापनगर विहार-13 जयपुर	Handwritten signature

8

श्री. लाल
अध्यक्ष

Handwritten signature
मन्त्री

श्री. लाल
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	श्री. केशव शर्मा श्री. श्री. प्रदीप शर्मा	अध्यापक	गोव-बलारणा पोस्ट जयपुर	Handwritten signature
11.	श्री. राजेश शर्मा श्री. श्री. शंकर लाल शर्मा	अध्यापक	विनायक विहार रोड जयपुर	Handwritten signature
12.	श्री. अशोक शर्मा श्री. श्री. शंकराज उजरी	निजी व्यवसाय	गोव-बलारणा पोस्ट जयपुर	Handwritten signature
13.	श्री. श्रीराम शर्मा श्री. श्री. शंकर लाल शर्मा	अध्यापक	सं. 35 गोव-बलारणा जयपुर	Handwritten signature
14.	श्री. राम लाल शर्मा श्री. श्री. शंकराज उजरी	निजी व्यवसाय	विनायक विहार रोड जयपुर	Handwritten signature
15.	श्री. लाल शर्मा श्री. श्री. शंकराज शर्मा	निजी व्यवसाय	सं. 50 विनायक विहार जयपुर	Handwritten signature
16.				
17.				
18.				

9

श्री. लाल
अध्यक्ष

Handwritten signature
मन्त्री

श्री. लाल
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

10

भोगीलाल
अध्यक्ष

मन्त्री
H. S. Singh

कोषाध्यक्ष
व. लाल

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

11

भोगीलाल
अध्यक्ष

मन्त्री
H. S. Singh

कोषाध्यक्ष
व. लाल

7

8

9

10

11

12

13

14

15

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दीवालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
- 2- विशिष्ट
- 3- सम्माननीय
- 4- साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1- संरक्षक	राशि..... 5100	वार्षिक/आजन्म
2- विशिष्ट	राशि..... 2100	वार्षिक/आजन्म
3- सम्माननीय	राशि..... 1100	वार्षिक
4- साधारण	राशि..... 500	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु.
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1- मृत्यु होने पर
- 2- त्याग-पत्र देने पर
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन और परिष्कार करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें :-

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

16

मंत्री

मंत्री

कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-यात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी को नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

17

मंत्री

मंत्री

कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-
- 1- कार्यकारिणी को वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।
 - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
 - 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
 - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बरकर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपअध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मंत्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

18

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
 - 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
 - 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
 - 6- पत्र व्यवहार करना।
 - 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
- 4-उपमंत्री :
- 1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
 - 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।
- 5-कोषाध्यक्ष :
- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
 - 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
 - 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
 - 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्दा
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संपुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी संस्था

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. के सशपथ घोषणा करते हैं कि:-
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य दिनांक है।
3. संस्था की आम सभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक की सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर-सुधी हैं।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रादि के साथ संस्था के तीन अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा शपथ पत्र त्रिधारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जावे। तीन पदाधिकारियों के फोटो संलग्न करना है।

22

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
 4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलाई गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
 5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
 6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्युष्टि की प्रमाणित प्रति।
 7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
- हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरपुस्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन तथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

23

17. कोष सचिव/विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक पृष्ठ स्वीकृत कर सकेंगे :-

1- अध्यक्ष 11000/-
2- मंत्री 11000/-
3- कोषाध्यक्ष 11000/-

उपरोक्त सासे का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक को निम्नलिखित स्थकारिणी द्वारा को जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्थ के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएँ को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) राजस्थान रजिस्ट्रार संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप है।

20

शपथ-पत्र का प्रपत्र

मैं पुत्र

आयु निवासी

[अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष] प्रस्तावित संस्था

का शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु कुल आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पाकर प्रमाणित करवायी जावे।

21

मंत्री
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
मंत्री
कोषाध्यक्ष



AKSHAYA KHANDELWAL

Chartered Accountants

310, 3rd Floor, North Avenue ARG, Road No. 9A, VKI Area, Sikar Road, Jaipur- 302013

Phone : 8764005297

AUDIT REPORT

We have audited the attached balance sheet as on 31st March 2023 and income & expenditure account for year ended on that day **RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL , TODI HARMADA, SIKAR ROAD JAIPUR, RAJASTHAN** and report under.....

1. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and subject to books of accounts produce before us same give fair and true view in respect of balance sheet and income & expenditure account.
2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
3. The balance sheet and income & expenditure account are in agreement with the books of accounts produced before us.
4. We are giving our opinion strictly to the management of the school on the accounts prepared by them on the request of the school management all the transaction have been verified by the management of the school, we have only elide upon.

Place : Jaipur

Date : 06-10-2023

FOR AKSHAYA KHANDELWAL


Chartered accountants

Akshaya Khandelwal

Proprietor

M.No.-439259

RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL
TODI HARMADA SIKAR ROAD JAIPUR RAJASTHAN

Balance Sheet
1-Apr-2022 to 31-Mar-2023

Liabilities		as at 31-Mar-2023	Assets		as at 31-Mar-2023
Capital Account		9,46,468.97	Fixed Assets		9,05,365.0
<i>Capital Account</i>	9,46,468.97		<i>Bus</i>	5,07,681.00	
Loans (Liability)		3,15,583.00	<i>Computer</i>	1,210.00	
<i>Au Small Finance</i>	3,15,583.00		<i>Darries & Carpets</i>	7,127.00	
Current Liabilities		1,19,909.00	<i>Electrical Equipments</i>	68,795.00	
<i>Duties & Tax</i>	10,884.00		<i>Fan</i>	6,141.00	
<i>Provisions</i>	1,09,025.00		<i>Furniture & Fixture</i>	1,80,837.00	
Suspense A/c			<i>Games Equipments</i>	6,712.00	
Profit & Loss A/c			<i>Laboratory Equipments</i>	33,283.00	
<i>Opening Balance</i>			<i>Library Books</i>	28,976.00	
<i>Current Period</i>	1,31,191.76		<i>Mobile</i>	1,979.00	
<i>Less: Transferred</i>	1,31,191.76		<i>National Flag</i>	255.00	
			<i>Software</i>	11,872.00	
			<i>S.U.P.W. Equipments</i>	3,417.00	
			<i>Teaching Aids</i>	45,749.00	
			<i>Water Tank</i>	1,331.00	
			Current Assets		4,76,595.9
			<i>Cash-in-hand</i>	1,67,587.93	
			<i>Bank Accounts</i>	1,64,008.04	
			<i>Doposits (Assets)</i>	1,05,000.00	
			<i>Mahala International</i>	40,000.00	
Total		13,81,960.97	Total		13,81,960.9



FORM - 29
संस्थानिक भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

श्रीमान् सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

विषय : सार्वजनिक/चेरीटेबल संस्थाओं/चेरीटेबल ट्रस्ट को भूमि आवंटन।

महोदय,

हमारी संस्थान/ट्रस्ट सिटीयान् इंटरनेशनल रिमल सोसायटी सामाजिक कार्यों (जिनका विवरण संलग्न है) गत 13 वर्षों से जयपुर शहर में कार्यरत है, किन्तु रि.प्र. कार्य हेतु संस्था का अपना कोई भवन नहीं है। अतः हम जयपुरा क्षेत्र में लगभग 2100.00 वर्ग मीटर का भूखण्ड नियमानुसार रियायती दर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर रहे हैं। निम्न प्रपत्र का चयन करें:-

- प्रपत्र-अ (चेरीटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु)
 प्रपत्र-ब (कम्पनियों/साझेदारी फर्मों/व्यक्तिगत भूमि आवंटन हेतु)
 प्रपत्र-स (सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु)
 प्रपत्र-द (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को भूमि आवंटन हेतु)

क्र. सं.	शीर्षक	सूचना (संस्था द्वारा भरा जावेगा)	संलग्न दस्तावेजों का स्वप्रमाणित विवरण जो सूचना को प्रमाणित करता हो। (संस्था द्वारा भरा जावेगा)																				
1.	आवेदक संस्था का नाम	<u>सिटीयान् इंटरनेशनल</u>																					
2.	आवेदक संस्था का वर्तमान पता एवं टेलीफोन नम्बर	<u>522001</u> <u>TODT STAND SJK 12 2014</u> <u>Jaypur</u>																					
3.	संस्था/ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नं. (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	<u>930-2011-12</u>																					
4.	संस्था/ट्रस्ट के विनियम/विधान की प्रति संलग्न करें (पृष्ठ संख्या अंकित करें)	<u>संलग्न है</u>																					
5.	संस्था/ट्रस्ट सामाजिक क्षेत्र में कब से कार्यरत हैं (अवधि)	<u>2012</u>																					
6.	संस्था/ट्रस्ट के अध्यक्ष/महामंत्री का नाम पता एवं टेलीफोन नम्बर	<u>HEMRAJ KURJAN</u> <u>mob-9952061444</u>																					
7.	संस्था/ट्रस्ट के निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या (नाम और पते सहित सूची संलग्न करें)	<u>संलग्न -</u>																					
8.	संस्था/ट्रस्ट की गत तीन वर्षों की अंकेक्षण शीट के अनुसार वित्तीय स्थिति (गत तीन वर्ष के अंकेक्षण बैलेन्स शीट की प्रति संलग्न करें)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>वर्ष</th> <th>कुल सम्पत्तियाँ</th> <th>कुल दायित्व</th> <th>रोकड़ संघय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><u>22</u></td> <td><u>01</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>415795.21</u></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><u>23</u></td> <td><u>01</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>471595.92</u></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><u>24</u></td> <td><u>01</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>471595.92</u></td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	वर्ष	कुल सम्पत्तियाँ	कुल दायित्व	रोकड़ संघय	1.	<u>22</u>	<u>01</u>	<u>/</u>	<u>415795.21</u>	2.	<u>23</u>	<u>01</u>	<u>/</u>	<u>471595.92</u>	3.	<u>24</u>	<u>01</u>	<u>/</u>	<u>471595.92</u>	
क्र. सं.	वर्ष	कुल सम्पत्तियाँ	कुल दायित्व	रोकड़ संघय																			
1.	<u>22</u>	<u>01</u>	<u>/</u>	<u>415795.21</u>																			
2.	<u>23</u>	<u>01</u>	<u>/</u>	<u>471595.92</u>																			
3.	<u>24</u>	<u>01</u>	<u>/</u>	<u>471595.92</u>																			
9.	योजना/क्षेत्र का नाम जिसमें भूखण्ड वांछित है। *वैकल्पिक	<u>सिटीयान्</u>	<u>- 471747-95</u>																				

10.	भूखण्ड का आकार और क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	21 हेक्टर 2100 वर्गमीटर	
11.	प्रयोजन जिसके लिये भूखण्ड वांछित है।	अवकाश	
12.	भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धी प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें। (पृष्ठ संख्या अंकित करें।) अ) कितनी अवधि में निर्माण शुरू किया जायेगा? ब) कितनी अवधि में निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा? स) इस हेतु आर्थिक संसाधनों की क्या व्यवस्था की गई है? द) समाज के किन वर्गों को लाभ मिलेगा? य) राष्ट्र निर्माण एवं समाज कल्याण के किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी?		
13.	भूखण्ड क्रय करने एवं प्रस्तावित निर्माण बाबत पारित प्रस्ताव का क्रमांक एवं दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न करें।)		
14.	क्या संस्था/ट्रस्ट का निर्मित भवन में वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करना उद्देश्य है?	नहीं	
15.	क्या संस्था/ट्रस्ट को नगर परिषद/नगर विकास न्यास/जविप्रा द्वारा कोई भूखण्ड पूर्व में आवंटित है?	नहीं	
16.	भूखण्ड आवंटन हेतु समाज कल्याण विभाग की अभिशंषा संलग्न करें (संबंधित प्रकरणों में)	आवेदन संख्या 5/2022	
17.	स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रपत्र 2 के अनुसार।		
18.	सचिव, जविप्रा के नाम 5000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर संलग्न करें। (वापस होने योग्य नहीं)	क्रमांक बैंक का नाम	दिनांक राशि भारतीय रिजर्व बैंक 04-7-25 50000-00

सत्यापन

मैंने उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें पढ़ ली हैं और मुझे स्वीकार है। उपरोक्त सूचना तथ्य परक है एवं कुछ छुपाया नहीं गया है। संस्था ने भूखण्ड की कीमत एवं योजना के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अपेक्षित आर्थिक आवश्यकता पूर्ति बाबत व्यवस्था कर ली है।

दिनांक : 03/07/2025

स्थान :

अध्यक्ष
राजस्थान इन्टरनेशनल शिक्षा समिति
भवदीय
देवी स्टैण्ड, जयपुर

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
आवेदक संस्था/ट्रस्ट के अधिकृत/प्रतिनिधि का नाम एवं पद

हरमन गुजर - H-19
मो. 9950061444

संस्था/ट्रस्ट के नाम की मोहर

राजस्थान इन्टरनेशनल शिक्षा समिति
देवी स्टैण्ड, जयपुर

स्व-घोषणा पत्र



मैं ६५११५३३ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ११२२१०३३ उम्र ३८ वर्ष,

निवासी २१११-१०११११ जिला ५५५५५ राजस्थान घोषणा करता हूँ/करती हूँ

कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएँ तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूठी/असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामना करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जावेगा।

दिनांक: स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर



भारत सरकार

Government of India



Download Date: 14/06/2020



हेमराज गुर्जर

Hemraj Gurjar

जन्म तिथि/DOB: 11/09/1988

पुरुष/ MALE

Issue Date: 28/07/2015

6458 4098 5297

VID : 9117 0559 2584 0198

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India




पता:

आत्मज: रामलाल गुर्जर, 119, चंदीजो की ढाणी, बढारणा,
हरमाडा, हर्मादा, जयपुर,
राजस्थान - 302013

Address:

S/O: Ramlal Gurjar, 119, chandijo ki dhani,
badhama, harmada, Harmada, Jaipur,
Rajasthan - 302013



6458 4098 5297

VID : 9117 0559 2584 0198

1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

HEMRAJ GURJAR

RAM LAL GURJAR

11/09/1988

Permanent Account Number

BJPPG9375P

रम लाल गुरजर

Signature



14062013



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन-12)
राजस्थान सरकार

34

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101179

दिनांक: 01/01/2022

विषय: - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री HEMRAJ GURJAR पुत्र श्री RAMLAL GURJAR जाति GURJAR निवासी 119 CHANDJO KI DHANI BADHARMA HARMADA JAIPUR

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नीदड़, आमेर (जयपुर)	RAJASTHAN INTERNATIONAL SHIKSHA SAMITI	2288/1	5340	0.534
कुल					0.534

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुदेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 01-01-2022 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-12)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Received
Hemraj

अध्यक्ष
राजस्थान
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PROJECT REPORT

1. श्री अलाबंद के 3 मंजूर के भीतर लवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा
2. श्री अलाबंद के 12 मंजूर के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा
3. आर्थिक सहायता से विभिन्न मंजूरों से पन्ना व बेंक से आर्थिक मददों लिया जाएगा
4. मंजूर के सभी कार्य का इलाका जाल मिलेगा
5. विद्यालय के विद्यान में उद्देश्य लिखित है, जिसकी पूर्ति मिलेगी है)

Signature

जारी करने वाले शाखा
Issuing Branch: JAIPUR SIKAR ROAD
कोड क्रं /CODE No: 32154
Tel No.

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: NULDON
Sr. No: 158337

0	4	0	7	2	0	2	5
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जानेपर SACHIV JAIPUR VIKAS PRADHIKARAN*****

या उनके आदेश पर

ON DEMAND PAY

OR ORDER

रुपये RUPEES Five Thousand Only

अदा करें ₹ 5000.00

IOI 000559435305
Name of Applicant

Key: NULDON Sr. No: 158337
KAMLESH GURJAR

AMOUNT BELOW 5001(0/4)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:CCPC
कोड क्रं . /CODE No: 31904

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID IFOR 3 MONTHS ONLY

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈435305⑈ 000002000⑈ 000559⑈ 16



Jaipur Development Authority

Ram Kishor Vyas Bhawan, Indra Circle, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004 Rajasthan

Payment Acknowledgement Receipt

Challan Number :	982843
Control Number :	642518500131
Payment Mode :	Online Payment
Payment Channel :	Payment Gateway - BillDesk
Transaction ID :	BIC57R50PDCPN4
Transaction Date :	7/4/2025 4:03:03 PM
Transaction Amount :	<input type="checkbox"/> 5,200.00
Transaction Status :	SUCCESS

Note:

1. The successful transaction date will be treated as deposit date in JDA account.
2. In case the Transaction Status is shown failed and the amount is debited from your bank account, you are requested wait for 24 Hrs for confirmation of amount. After reconciliation of the account the acknowledge receipt will be made available on this portal. If the amount is reverted to your bank account you may make payment again.
3. Any problem faced while making the payment through online payment gateway service provider you may contact on help desk number of service provider mentioned on this portal. To locate your transaction please mention JDA Challan Number or Transaction ID generated by service provider and other details of your transaction made.
4. If payment is made through Credit/Debit Card, in case of any refund the amount may be credited back to the Bank Account registered with JDA by applicant and not to the account of Credit/Debit Card through which the payment is made. JDA will not entertain any Chargeback what so ever.
5. JDA will not be responsible in case the amount is not credited/deposited in JDA account due to transaction failure.

Printed On: 04/07/2025 04:03 PM



श्री जयपुर इन्टरनेशनल शिक्षा समिति रजिस्टर कार्यवाही

सहकारी समिति लि./अन लि.

तहसील अमिर

जिला जयपुर

वर्ष 2025

विनांक	उपस्थित सदस्य संख्या	नाम अध्यक्ष/सभापति	प्रस्ताव	नम्बर प्रस्ताव	प्रस्ताव जो पास हुआ	उपस्थित सदस्य के हस्ता
1	2	3	4	5	6	7
01/07/2025	2/3	श्री राजेश कुमार गुर्जर	गत सत्र की कार्यवाही को पूर्ण करना	01	श्री जयपुर इन्टरनेशनल शिक्षा समिति विनायक विहार रोड जयपुर जिला जयपुर को सामाजिक कामों हेतु ग्राम स्तर पर कार्य करने हेतु निम्न आवासीय योजना में स्थित है अर्थात् प्लॉट नं. 2289/35 24 2100 वर्ग मीटर है।	
			<u>प्रस्ताव नं. 1</u>		<u>आम सत्र</u>	
			निम्न आवासीय योजना में स्थित ग्राम 2289/35 24 2100 वर्ग मीटर को आविष्कार		01-07-2025 को समिति प्रयोग में श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजेश कुमार गुर्जर की अध्यक्षता में आम सत्र का आयोजन किया गया सत्र में सर्व सम्मान से निम्न निर्णय लिया गया।	
			को आविष्कार		सर्व प्रथम सचिव श्री हेमराज गुर्जर ने गत सत्र की कार्यवाही	

मावेंक हेतु
प्रस्ताव ।

सर्वशामाहित से की गई

अध्यक्ष महोदय श्री राजेश कुमार शुक्ल ने
प्रस्ताव रखने से राजस्थान इंटरनेशनल
शिक्षा समिति श्रीकर रोड - जयपुर में कई
वर्षों से संचालित है। परन्तु समिति सामाजिक
कार्यो को करने के लिये (पेजिनका विवरण
संलग्न है) सफल नहीं है। उक्त जयपुर विकास
प्राधिकरण से हमें आवंटन हेतु प्रार्थना
पत्र श्रीमान् सायब, जयपुर विकास प्राधिकरण
UDN भाग जयपुर को प्रस्तुत किया जाये
जिसका शीघ्र से उपरोक्त समिति
सदस्यों ने स्वगत किया आवंटन हेतु
अध्यात्मिक प्रस्ताव लिए गये।

10/11

10/11

प्रस्ताव
की

गत कई वर्षों से राजस्थान इंटरनेशनल
शिक्षा समिति विनायक विहार टोशी रोड
श्रीकर रोड - जयपुर सामाजिक कार्यो में
संलग्न है। परन्तु समिति अपने रूप में
कम और आगे बढ़ाने हेतु जयपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वगत सिद्ध आवंटन को
धोखा में। हमें आवंटन से उक्त
आवश्यक है इस हेतु समिति यह

सचिव
शिक्षा समिति
जयपुर

राजस्थान इंटरनेशनल शिक्षा रजिस्टर कार्यवाही

सहकारी समिति लि./अन लि.

तहसील झीमेर

जिला जयपुर वर्ष 2021

दिनांक	उपस्थित सदस्य संख्या	नाम अध्यक्ष/सभापति	प्रस्ताव	नम्बर प्रस्ताव	प्रस्ताव जो पास हुआ	उपस्थित सद के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5		7
					<p>प्रस्तावित करती है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित 'आवास योजना में स्थान 2289/3524 1000 वर्ग मीटर' ग्रामिण को शामिल के नाम आवाहन करने हेतु श्रीमान सायब जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहरलाल नेहरू मार्ग-जयपुर को सबूत प्रस्तुत किया जाये प्रस्ताव आमतौर स्थित श्री हेमराज गुप्तर को सम्पूर्ण कार्यवाही करने लिए सहमत डेली हो</p>	<p>2289/3524</p>
			<p><u>निर्णय 01</u></p>		<p>उपरोक्त प्रस्ताव परस्तावित चर्चा के बाद सब सहमत से यह निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित 'आवास योजना में स्थान 2289/3524 1000 वर्ग मीटर' को शामिल के नाम आवाहन</p>	<p>21</p>
			<p><u>निर्णय 02</u></p> <p>उपरोक्त प्रस्ताव पर शाहीबु यथावे उपर्युक्त यह निर्णय</p>			

२२४९/३५२५
 वरु साह
 (२१००) को
 निम्न आवाज
 योप
 सामाजिक
 नाम आवाज
 हनु सहमत
 प्रो. गुरुजी

[Signature]

सचिव
 इंटरनेशनल शिक्षा समिति
 टेडी स्टैंड, जयपुर

की प्रति हेतु कर रखती है। इतर समिति
 यह नियम लेती है कि उक्त हारा संस्कृत
 समिति जो निम्न आवाज योप
 में निम्न २२४९/३५२५ जो संस्कृत
 भीतर है को सावरण हेतु सामिति सुचित
 जो हमराज गुरुजी को प्रकृत करती है
 कि उक्त नियम की प्रति भीतर अन्य
 आवश्यक दरलावपु साहित्य भीतर साहित्य
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को
 प्रकृत करती है सहमत देती है।

अतः मेरे समिति
 को सामाजिक प्रकृत करके इतर साहित्य महोदय
 में समा समापन की प्राप्ति है।



AKSHAYA KHANDELWAL

Chartered Accountants

310, 3rd Floor, North Avenue ARG, Road No. 9A, VKI Area, Sikar Road, Jaipur- 302013

Phone : 8764005297

AUDIT REPORT

We have audited the attached balance sheet as on 31st March 2022 and income & expenditure account for year ended on that day **RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL, TODI HARMADA, SIKAR ROAD JAIPUR, RAJASTHAN** and report under.....

1. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and subject to books of accounts produce before us same give fair and true view in respect of balance sheet and income & expenditure account.
2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
3. The balance sheet and income & expenditure account are in agreement with the books of accounts produced before us.
4. We are giving our opinion strictly to the management of the school on the accounts prepared by them on the request of the school management all the transaction have been verified by the management of the school, we have only elide upon.

Place : Jaipur

Date : 07-06-2022


FOR AKSHAYA KHANDELWAL

Chartered accountants

Akshaya Khandelwal

Proprietor

M.No.-439259



RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL

TODI HARMADA SIKAR ROAD JAIPUR RAJASTHAN

Income & Expenditure Statement

1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Particulars	1-Apr-2021 to 31-Mar-2022	Particulars	1-Apr-2021 to 31-Mar-2022
Indirect Expenses	41,19,837.87	Indirect Incomes	42,05,236.00
Advertisement	1,45,360.00	Fees	40,13,550.00
Annual Functional	1,16,900.00	Interest on Bank	1,262.00
Bank Charges	573.96	R.T.E. Fees	1,90,424.00
Building Rent	5,04,000.00		
Building Repair & Maint.	55,600.00		
Computer Exp.	18,960.00		
Consulancy Exp.	12,000.00		
E.S.I. Exp.	8,284.00		
Examination Exp.	20,520.00		
Function & Festival Exp.	20,900.00		
Furniture Repair & Maint.	14,860.00		
Games Exp.	12,890.00		
Laboratory Exp.	17,190.00		
Miscellaneous Exp.	14,863.00		
Newspaper Exp.	3,000.00		
Petrol & Diesel Exp.	67,278.08		
Printing & Stationery Exp.	62,870.00		
Repair & Maint.	39,400.00		
Salary Allowances	27,15,456.00		
Staff Welfare Exp.	36,870.00		
Teaching Material	23,400.00		
Telephone Exp.	40,383.83		
Vehicle Exp.	44,460.00		
Water & Electricity Exp.	1,23,819.00		
Excess of Income over Expenditure	85,398.13		
Total	42,05,236.00	Total	42,05,236.00



RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL

TODI HARMADA SIKAR ROAD JAIPUR RAJASTHAN

Balance Sheet

1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Liabilities		as at 31-Mar-2022	Assets		as at 31-Mar-2022
Capital Account		8,15,277.21	Fixed Assets		9,05,361.00
Capital Account	8,15,277.21		Bus	5,07,681.00	
Loans (Liability)		3,85,973.00	Computer	1,210.00	
Secured Loans	3,85,973.00		Darries & Carpets	7,127.00	
Current Liabilities		1,19,909.00	Electrical Equipments	68,795.00	
Duties & Tax	10,884.00		Fan	6,141.00	
Provisions	1,09,025.00		Furniture & Fixture	1,80,837.00	
Suspense A/c			Games Equipments	6,712.00	
Profit & Loss A/c			Laboratory Equipments	33,283.00	
Opening Balance			Library Books	28,976.00	
Current Period	85,398.13		Mobile	1,979.00	
Less: Transferred	85,398.13		National Flag	255.00	
			Software	11,872.00	
			S.U.P.W. Equipments	3,417.00	
			Teaching Aids	45,749.00	
			Water Tank	1,331.00	
			Current Assets		4,15,794.00
			Cash-in-hand	41,040.93	
			Bank Accounts	2,29,753.28	
			Doposits (Assets)	1,05,000.00	
			Mahala International	40,000.00	
Total		13,21,159.21	Total		13,21,159.21



राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 930 जयपुर/2011-12

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान इंटरवैशनाल शिक्षा समिति, विनायक विहार, टोडी स्टैंड, सीकर जिला-जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 25 माह जनवरी सन् दो हजार 2012



को जयपुर में किया गया।

(बृजेन्द्र राजोरिया)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

क्रमांक फा/रजि/संस्थायें/

872
25-1-12

जयपुर, दिनांक.....

अध्यक्ष/मन्त्री,

राजस्थान इंटरनेशनल शिक्षा समिति
बिनाथक (बिहार, टीडी) स्टैंड
सीकर रोड, जयपुर

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....930...../जयपुर.....11-12.....
दिनांक.....25-1-12.....संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनार्यें भिजवाना
आवश्यक है :-

1. संस्था में मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनार्यें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्ध जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुमनि के दण्ड की भागीदारी होगी।



AKSHAYA KHANDELWAL

Chartered Accountants

310, 3rd Floor, North Avenue ARG, Road No. 9A, VKI Area, Sikar Road, Jaipur- 302013

Phone : 8764005297

AUDIT REPORT

We have audited the attached balance sheet as on 31st March 2024 and income & expenditure account for year ended on **RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL, TODI HARMADA, SIKAR ROAD JAIPUR, RAJASTHAN** and report under.....

1. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and subject to books of accounts produce before us same give fair and true view in respect of balance sheet and income & expenditure account.
2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
3. The balance sheet and income & expenditure account are in agreement with the books of accounts produced before us.
4. We are giving our opinion strictly to the management of the school on the accounts prepared by them on the request of the school management all the transaction have been verified by the management of the school, we have only elide upon.

Place : Jaipur

Date : 04-10-2024

FOR AKSHAYA KHANDELWAL

Chartered accountants

Akshaya Khandelwal

Proprietor

M.No.-439259



RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL

TODI HARMADA SIKAR ROAD JAIPUR RAJASTHAN

Income & Expenditure Statement

1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Particulars	1-Apr-2023 to 31-Mar-2024	Particulars	1-Apr-2023 to 31-Mar-2024
Indirect Expenses	67,85,538.52	Indirect Incomes	71,35,842.00
Advertisement	2,27,900.00	Fees	68,02,364.00
Annual Functional	2,71,111.00	Interest on Bank	2,064.00
Bank Charges	236.00	R.T.E. Fees	3,31,414.00
Building Rent	5,04,000.00		
Computer Exp.	17,148.00		
Consulancy Exp.	11,000.00		
Conveyance Exp.	7,20,000.00		
Educational Tour	1,83,490.00		
E.S.I. Exp.	11,483.00		
Examination Exp.	48,905.00		
Function & Festival Exp.	54,300.00		
Furniture Repair & Maint.	35,040.00		
Games Exp.	15,668.00		
Laboratory Exp.	12,762.00		
Miscellaneous Exp.	23,828.52		
Newspaper Exp.	3,600.00		
Petrol & Diesel Exp.	4,56,431.00		
Printing & Stationery Exp.	47,660.00		
Repair & Maint.	55,348.00		
Salary Allowances	37,49,894.00		
Staff Welfare Exp.	1,68,685.00		
Teaching Material	56,130.00		
Vehicle Exp.	47,730.00		
Water & Electricity Exp.	63,189.00		
Excess of Income over Expenditure	3,50,303.48		
Total	71,35,842.00	Total	71,35,842.00



RAJASTHAN INTERNATIONAL SCHOOL
TODI HARMADA SIKAR ROAD JAIPUR RAJASTHAN

Balance Sheet
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Liabilities		as at 31-Mar-2024	Assets		as at 31-Mar-2024
Capital Account		12,96,772.45	Fixed Assets		10,89,385.1
Capital Account	12,96,772.45		Bus	5,07,681.00	
Loans (Liability)		1,44,451.00	Computer	1,210.00	
Au Small Finance	1,44,451.00		Darries & Carpets	7,127.00	
Current Liabilities		1,19,909.00	Electrical Equipments	1,63,995.00	
Duties & Tax	10,884.00		Fan	6,141.00	
Provisions	1,09,025.00		Furniture & Fixture	2,57,157.00	
Suspense A/c			Games Equipments	6,712.00	
Profit & Loss A/c			Laboratory Equipments	33,283.00	
Opening Balance			Library Books	28,976.00	
Current Period	3,50,303.48		Mobile	1,979.00	
Less: Transferred	3,50,303.48		Music Equipments	12,500.00	
			National Flag	255.00	
			Software	11,872.00	
			S.U.P.W. Equipments	3,417.00	
			Teaching Aids	45,749.00	
			Water Tank	1,331.00	
			Current Assets		4,71,747
			Cash-in-hand	2,88,765.49	
			Bank Accounts	37,981.96	
			Doposits (Assets)	1,05,000.00	
			Mahala International	40,000.00	
Total		15,61,132.45	Total		15,61,132



जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सा)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- नींदड
पटवार हल्का :- नींदड
भू.अभि.नि. :- हरमाडा
तहसील :- रामपुरा डाबडी
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबंदी 2080 (वर्ष 2023) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 858
खाता संख्या पुराना :- 978

2263	0.0300	गै.मु.आबादी	0.0300	0.00	
2264	0.4800	गै.मु.आबादी	0.1500	0.00	
		बारानी 2	0.3300	1.32	
2265	0.1000	चाही A	0.1000	4.25	2251
2266	0.1300	चाही A	0.1300	5.53	2251
2267	0.0400	बारानी A	0.0400	0.34	
2268	0.0200	बारानी A	0.0200	0.17	
2269	0.0200	बारानी A	0.0200	0.17	
2270	0.0200	बारानी A	0.0200	0.17	
2271	0.0700	बारानी A	0.0700	0.60	
2272	0.2600	चाही 1	0.2600	9.10	2251व2216
2273	0.1100	चाही 1	0.0900	3.15	
		जाव 1	0.0200	0.35	
2274	0.1200	चाही A	0.1200	5.10	2251
2275	0.2100	चाही 1	0.2100	7.35	2280
2276	0.0500	बारानी A	0.0500	0.43	
2277	0.0600	बारानी A	0.0600	0.51	
2278	0.0500	बारानी A	0.0500	0.43	
2279	0.0500	बारानी A	0.0500	0.43	
2281	0.2500	चाही 1	0.2100	7.35	2280
		जाव 1	0.0400	0.70	2280
2282	0.2100	चाही 1	0.2100	7.35	2280
2283	0.0600	बारानी A	0.0600	0.51	
2284	0.3000	गै.मु.नाला	0.3000	0.00	
2285	0.3000	बारानी 2	0.3000	1.20	
2286	0.3000	बारानी 2	0.3000	1.20	
2287	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100	0.00	
2288/1	0.5340	संस्थानिक प्रयोजन	0.5340	0.00	
2289	0.5000	आवासीय प्रयोजन	0.5000	0.00	
2289/3524	0.2100	बारानी 2	0.2100	0.84	
2290	0.9100	आवासीय प्रयोजन	0.9100	0.00	
2292	0.0200	गै.मु.पहाड़	0.0200	0.00	
2293	0.0500	गै.मु.पहाड़	0.0500	0.00	
2294	0.0100	गै.मु.पहाड़	0.0100	0.00	
2300	0.1900	गै.मु.रास्ता	0.1900	0.00	



राजस्थान सरकार

दिनांक : 30/06/2025 10:09:04 AM


जिला : जयपुर
पटवारी हल्का : नींदड

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

तहसील : रामपुरा डाबडी

भू. अ. नि. क्षेत्र : हरमाडा

ग्राम : नींदड



Scale 1:1000

खसरा संख्या : 2289/3524 क्षेत्रफल : 0.2100 Hectare खाता संख्या : 858 पुराना खाता संख्या : 974

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 2 [0.2100, 0.84]

1.) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान इन्टरनेशनल शिक्षा समिति टोडी स्टेण्ड, सीकर रोड़, जयपुर

दिनांक 21/12/2021 को वार्षिक आम सभा में निर्वाचित नवीन प्रबन्ध कारिणी की सूची:-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	श्री हेमराज गुर्जर	श्री रामलाल गुर्जर	अध्यापन	ग्राम-बढारना, पोस्ट-हरमाड़ा, जयपुर	सचिव
2	श्री राजेश कुमार गुर्जर	श्री मांगीलाल गुर्जर	अध्यापन	ग्राम-बढारना, पोस्ट-हरमाड़ा, जयपुर	अध्यक्ष
3	श्री बाबूलाल गुर्जर	श्री मांगीलाल गुर्जर	अध्यापन	ग्राम-बढारना, पोस्ट-हरमाड़ा, जयपुर	कोषाध्यक्ष
4	श्री विकास गुर्जर	श्री छाजूराम गुर्जर	सर्विस	ग्राम-बढारना, पोस्ट-हरमाड़ा, जयपुर	उपाध्यक्ष
5	श्री मांगीलाल कुमावत	श्री हरीनारायण कुमावत	निजि	खरखट्या वाली ढाणी, नीदड़ वार्ड नं.1, जयपुर	सदस्य
6	माया देवी गुर्जर	श्री कमलेश गुर्जर	गृहणी	ग्राम-बढारना, पोस्ट-हरमाड़ा, जयपुर	सदस्य
7	श्री भवानी शंकर शर्मा	श्री गोवर्धन लाल शर्मा	निजि	355, बलदेव नगर, झोझारिया की ढाणी, माचेड़ा, जयपुर	सदस्य
8	श्री सीताराम सेन	श्री शंकरलाल सेन	अध्यापन	35, दीपपुरा, टोडी स्टेण्ड, सीकर रोड़, जयपुर	सदस्य
9	श्री बनवारीलाल जाट	श्री सूंडाराम जाट	शिक्षाविद्	गापो-बोबाडी, तह-जमवारामगढ, जयपुर	सदस्य
10	इन्दिरा देवी	श्री पप्पूराम शर्मा	गृहणी	568, कोठेत्या की ढाणी, नीदड़, जयपुर	सदस्य
11	खुशबु शर्मा	श्री प्रदीप शर्मा	अध्यापन	26ए, शंकर विहार कालोनी, मुरलीपुरा, जयपुर	सदस्य
12	अरविन्द कुमार वर्मा	श्री मक्खनलाल बुनकर	अध्ययन	तक्षशिला नगर, पोस्ट-सेवापुरा, तह-आमेर, जयपुर	सदस्य
13	श्री बलवन्त सिंह मीणा	श्री प्रभुदयाल मीणा	सर्विस	ग्राम-बरवाड़ा, पोस्ट-म्हारकलां, वाया-चौमू, जयपुर	सदस्य
14	सीमा देवी	श्री भवानी शंकर शर्मा	गृहणी	355, बलदेव नगर, झोझारिया की ढाणी, माचेड़ा, जयपुर	सदस्य
15	मनीता कुमारी गुर्जर	श्री रामलाल गुर्जर	अध्यापन	ग्राम-बढारना, पोस्ट-हरमाड़ा, जयपुर	सदस्य
16	मधु शर्मा	श्री रमेश कुमार शर्मा	अध्ययन	ब्राह्मणो की ढाणी, बढारना, जयपुर	सदस्य
17	श्री सुगलसुम जोषी	श्री छोटूराम	शिक्षाविद्	ग्राम-हरचन्दपुरा, पोस्ट-कंवरपुरा, तह-आमेर, जयपुर	सदस्य

अध्यक्ष



सचिव

कोषाध्यक्ष

आवेदक श्री सचिव द्वारा दिनांक 21/12/2021 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर इस कार्यालय में प्रवीणता सस्था राजस्थान इन्टरनेशनल शिक्षा समिति रजि नं 930/जयपुर/2011-12 निम्नांकित दस्तावेजों की जांच की गयी है। राजस्थान तोसायत के दायरे में अधिनियम 1958 की धारा-19 के अन्तर्गत जारी की जाती है। इस राजस्टर द्वारा रासी निकाय (Governing Body) की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जाये।

हस्ताक्षर
राजस्टर (संस्थाएं)
जयपुर

दिनांक
हस्ताक्षर

राजस्थान इन्टरनेशनल शिक्षा समिति टोडी स्टेण्ड, सीकर रोड़, जयपुर

तुलनात्मक संशोधित विधान

क्र.सं.	विधान की धारा	धारा का शीर्षक	पूर्व में रजिस्टर्ड विधान में उल्लेख	संशोधित विधान में उल्लेख
1	11	कार्यकारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष-एक 2. सचिव-एक 3. कोषाध्यक्ष-एक 4. उपाध्यक्ष-एक 5. सदस्य-बारह <p>इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 04 पदाधिकारी 12 सदस्य कुल 16 सदस्य होंगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक 3. सचिव-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक 5. सदस्य-तेरह <p>इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 04 पदाधिकारी 13 सदस्य कुल 17 सदस्य होंगे।</p>



रजि.नं. 930/जयपुर/2011-12
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

आवेदक श्री सचिव द्वारा दिनांक 25/3/2012 को पस्तुत आवेदन पत्र के आणखर पर इस तारीख 4/4/2012 को संस्था राजस्थान इन्टरनेशनल शिक्षा समिति रजि नं 930/जयपुर/2011-12 के निम्नांकित दस्तावेज/पत्रों की प्रतिलिपियाँ, राजस्थान सोसायटी (अन्य) अधिनियम 1958 की धारा-19 के अन्तर्गत जारी की जाती है (इसे राजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय (Governing Body) की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे)

दिनांक
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार (संस्थारं)
जयपुर